(142)

संख्याः 519/XVIII(II)/2012–1(102)/2012

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः22 मार्च, 2012

विषयः–मै0 कृष महेश एजूकेशनल सोसायटी, देहरादून को तकनीकी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों हेतु 6.00 एकड़ भूमि एवं पहुँच मार्ग के लिए अतिरिक्त 220 वर्गमीटर भूमि क्रय करने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1888/12ए(2008–11) डी0एल0आर0सी0 दि0–15.3.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मै0 कृष महेश एजूकेशनल सोसायटी, देहरादून को तकनीकी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों (डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग तथा मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम) हेतु ग्राम झाझरा, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून में 6.00 एकड़ भूमि एवं पहुँच मार्ग के लिए अतिरिक्त 220 वर्गमीटर भूमि क्रय करने की अनुमति, तकनीकी शिक्षा विभाग व आवास विभाग की सहमति एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा–154(4)(3)(क)(III)के अन्तर्गत आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित खाता एवं खसरा संख्या के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के साथ प्रदान करते हैंः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग तथा मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगा।

4– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

.....2

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

8– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

9– नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/ अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेंगी।

10– आवेदक को भूखण्ड हेतु जाने वाले पहुँच मार्ग के मध्य से अपने भूखण्ड की ओर 9.00 मीटर भूमि छोड़ना आवश्यक होगा।

11– संबंधित निर्माण कार्य, आवास विभाग के प्रचलित बायलाज के अनुसार ही कराया जाएगा।

12– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्रोधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

13– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0–5/9/समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– श्री अंकित माथुर, अध्यक्ष, मै0 कृष महेश एजूकेशनल सोसायटी, 267 पंडितवाड़ी, देहरादून।
6– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।